न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 292/2026

लोकेश कुमार उर्फ कुडी पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र करीबन 19 साल, निवासी नबावपुरा मौहल्ला, मीट मार्केट के पास, पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर (राज.)

--प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-

1- श्री मनोज कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ कुडी की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी प्रधानाचार्य, राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई गई कि दिनांक 13.01.2026 को सुबह विद्यालय समय पर पहुंचे तो कार्यालय का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, जिसमें दान पेटी में रखे 12,000/-रूपये चोरी होना पाया गया एवं कमरे में लगा एक पंखा भी चोरी होना पाया गया----------इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2026, पुलिस थाना अखैपुरा, अलवर में धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ

की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 20.01.2026 को गिरफ्तार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र दिनांक 16.02.2026 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

4- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में आरोपपत्र पेश हो चुका है। तहरीरी रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 19 वर्षीय नवयुवक है, जिसके पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। वह वर्तमान में अभिरक्षा में है। वह समुचित जमानत पेश करने को तैयार है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय विद्यालय में रखे दानपत्र से चोरी करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वर्तमान में चोरी की घटनाएं निरंतर बढती जा रही हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	36/2025 अखैपुरा, अलवर	-	-	331(4), 305(a), 112(2) B.N.S.	-	-	-
2.	09/2026 अखैपुरा, अलवर	-	-	19/54 R.Ex. Act	-	-	-

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी के विद्यालय में छोटे संगठित अपराध कारित करने के आशय से मकान में चोरी करने के आशय से, सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कर चोरी करने संबंधी धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप हैं। पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। प्रकरण में चोरी गया सामान बरामद किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 20.01.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन 02 माह (56 दिनों) से निरंतर पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोपपत्र प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश

किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ कुडी पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र करीबन 19 साल, निवासी नबावपुरा मौहल्ला, मीट मार्केट के पास, पुलिस थाना अखैपुरा, जिला अलवर (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपये का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन, विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर